न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 59/2024 – निगरानी

उनवान प्रकरण

1. नारायण लाल पुत्र बालु जाट निवासी आटुण तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. भंवरलाल पुत्र बालु जाट निवासी आटुण जिला भीलवाडा

–निगराकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत आटुण जरिए सरपंच, ग्राम पंचायत आटूण तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. नन्द लाल पुत्र बालु बलाई निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा–97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व ग्राम पंचायत आटुण द्वारा जारी पट्टा संख्या 52 दिनांक 21/07/1989

उपस्थित –

1. श्री रामगोपाल चण्डक अधिवक्ता – निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 09.04.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निगराकारान् का एक भूखण्ड संख्या 57 नपती 40X65 फिट जो ग्राम आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 1031 – 2590/1030 में स्थित है। जिसके पडौस निम्न प्रकार है :– पूर्व में सडक, पश्चिम में प्लाट संख्या 56 ए बी, उत्तर – सडक व दक्षिण में प्लाट संख्या 58 है। उक्त भूखण्ड का पटटा पंचायत द्वारा निगराकारान के पिता बालु जाट पुत्र भोला जाट के पक्ष में विधिवत रूप से 4100/– रू की राशि दिनांक 16.05.1986 को जमा कर पत्रावली कमांक 101 पटटा संख्या 67/16.05.1986 को निगराकार के पिता बालु जाट को जारी किया गया तब से निगराकारान के पिता उक्त भूखण्ड पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे। इनके देहान्त दिनांक 01/05/1997 को हो जाने पश्चात् निगराकारान उक्त भूखण्ड के मालिक की हैसियत से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। भूखण्ड के चारों और पक्की बाउण्ड्रीवाल करवा रखी है। गैर निगराकार संख्या 2 को जारी पट्टा संख्या 52 दिनांक 21/07/1989 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मूलभूत प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

चले आ रहे हैं। भूखण्ड के चारों और पक्की बाउण्ड्रीवाल करवा रखी है। गैर निगराकार संख्या 2 को उक्त जारीशुदा पटटा संख्या 67 पर ही पुनः एक नया पटटा संख्या 52 दिनांक 21/07/1989 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के विरूद्व जारी कर दिया गया जो निरस्तनीय हैं। उक्त दूसरा पटटा संख्या 52 जारी करते समय कोई निरीक्षण नहीं किया गया एवं पडौसियों से पूछताछ या अनापत्ति भी प्राप्त नहीं की गई। निगराकारान के पिता व निगराकार वर्ष 1986 से ही उक्त भूखण्ड संख्या 57 (पटटा संख्या 67) पर चार दीवारी बना कर निरन्तर काबिज है। ग्राम पंचायत द्वारा कब्जे का मौका निरीक्षण किए बिना ही, कब्जे के अभाव में गैर निगराकार–2 के पक्ष में दूसरा पटटा जारी कर दिया गया जो निरस्तनीय है। गैर निगराकार संख्या 2 के नाम जारी पट्टा में भूखण्ड नम्बर का अंकन नहीं है जबकि निगराकार के पिता के नाम जारी पूर्व पट्टे में भूखण्ड नम्बर का अंकन है। निगराकारान के पिता के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया तब पट्टा शुल्क 4100/– रू जमा कराए गए जो वर्ष 1986 का है, जबकि ग्राम पंचायत आटुण ने इसी भूखण्ड के पश्चात्वर्ती फर्जी पट्टे में वर्ष 1989 में मात्र 3100/– रू शुल्क जमा होने का अंकन है। पंचायत द्वारा जब एक बार निगराकारन के पिता के पक्ष में पटट्ा जारी कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है तो पुनः उसी भूखण्ड का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। अतः निगरानी की जाकर व गैर निगराकार सं 2 के पक्ष में जारी पटटा संख्या 52 दिनांकित 21/07/1989 को खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

प्रकरण में बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि, पत्रावली पर उपलब्ध निगराकार द्वारा प्रस्तुत स्वयं के मूल पटटे के पडौस एवं पश्चातवर्ती पटटे के पडौस समान है। पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती पटटे की साईज समान हैं। पूर्ववर्ती पटटे एवं पश्चातवर्ती पटटे की आराजी समान हैं। पूर्ववर्ती पटटा दिनांक 16.05.1986 को जारी होना अंकित, जबकि ग्राम पंचायत आटूण ने पुनः उसी स्थान का, उसी साईज का तथा उन्हीं पडौंसों के मध्य नया पटटा दिनांक 21.07.1989 को जारी कर दिया गया, जो पंचायती राज नियमों के विरूद्व प्रतीत होता हैं।

इसी प्रकार दोनों पटटों के परीक्षण उपरांत यह जाहिर आया कि पूर्ववर्ती पटटे में भूखण्ड संख्या 57 का उल्लेख हैं, किन्तु पश्चातवर्ती पटटे में भूखण्ड संख्या का उल्लेख अंकित नही हैं, जिससे जाहिर होता हैं कि ग्राम पंचायत ने पश्चातवर्ती पटटा आनन–फानन में, बिना जांच परीक्षण के जारी किया हैं, जो विधि विरूद्व प्रतीत होता हैं।

न्यायालय अति. जि. कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

इसी प्रकार दोनों पटटों का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि पूर्ववर्ती पटटे की रकम ग्राम पंचायत द्वारा 4100/–रूपये रोकड पाने में दिनांक 16.5.1986 को जमा किये गये। जबकि पश्चातवर्ती पटटे हेतु ग्राम पंचायत ने 3200/–रूपये ही रोकड पाने में दिनांक 21.07.1989 को जमा किये हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने एक ही स्थान के दो पटटे बनाये जाकर, पटटा राशि भी कम कर दी गयी, जो न्यायोचित नही हैं। इस प्रकार यह जाहिर होता हैं कि पंचायत द्वारा प्रश्नगत पटटा जारी करते समय मनमाना तरीका अपनाया जाकर अवैध तरीके से पश्चात्वर्ती पटटा जारी किया गया हैं, जो पंचायतीराज अधिनियम के विरूद्व होने से अपास्त योग्य ठहरता हैं।

निगराकार द्वारा उक्त प्रश्नगत पटटे के खारिज किये जाने के संबंध में लगाये गये आक्षेपों को निराधार साबित करने हेतु, गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा कोई पुष्ट व प्रमाणिक दस्तावेज/ साक्ष्य पेश नही किये गये। जिससे यह स्पष्ट होता हैं प्रश्नगत पटटा पंचायतीराज अधिनियम में विहित नियमों के विपरीत जारी किया गया हैं एवं इस प्रकार के विधि विरूद्व तरीके से जारी पटटे प्रारम्भ से ही शून्य होकर खारिज होने योग्य हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत आटूण द्वारा प्रश्नगत पटटा संख्या 52 दिनांक 21.07.1989 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के विहित नियमों के विरूद्व होने से खारिज किया जाना उचित ठहरता हैं। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत आटूण द्वारा जारी पश्चात्वर्ती पटटा संख्या 52 दिनांक 21.07.1989 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के विहित नियमों के विरूद्व होने से खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत आटूण, पंचायत समिति सुवाणा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा